रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2019/अग्रहायण 26, 1941
No. 387] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2019/AGRAHAYANA 26, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2019

सं. अन्वेषण-15022(13)/6/2017-ओएनजीडी-V.—दिनांक 06 मार्च, 2019 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में नीतिगत सुधारों के खंड 6 के अनुसरण में, भारत सरकार ने विवाद समाधान के लिए एतद्वारा बाहरी प्रख्यात व्यक्तियों/ विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है ("इसमें इसके बाद जिसे समिति कहा गया है"), जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, नामत:

क्र.सं.	नाम
1	श्री जी.सी. चतुर्वेदी, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
2	श्री बिकास सी. बोरा, पूर्व सीएमडी, ओआईएल और ओएनजीसी
3	श्री सतीश पाई, प्रबंध निदेशक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड

2. **सदस्यों का कार्यकाल**

2.1 समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष होगा। हालांकि, सरकार के पास किसी भी कारण से किसी भी समय किसी भी सदस्य को समिति से अलग करने का अधिकार सुरक्षित है।

2.2 सदस्य कार्यकाल के विस्तार के लिए भी पात्र होंगे।

3. सदस्यों की निष्पक्षता:

समिति के सदस्य हर समय समाधान या मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्षकारों के प्रति निष्पक्ष रहेंगे।

4. **सदस्यों की शक्तियां और कार्य**

समिति, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्षकारों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और समाधान तथा मध्यस्थता कार्यवाही के लिए आवश्यक सभी कार्यों का निर्वहन करेगी और यह प्रयास करेगी कि समिति की पहली बैठक की तिथि से तीन (3) माह के भीतर पक्षकारों के बीच एक निपटान समझौता हो जाए। सदस्यगण और पक्षकार, आपसी सहमति से किए गए ऐसे निपटान समझौते के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करेंगे।

5. समिति के निबंधन और शर्तें

5.1 समिति के सदस्य, जो समाधानकर्ता या मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे, को उनकी पात्रता के अनुसार उनके कार्यस्थल से बैठक के स्थान तक हवाई यात्रा किराया और स्थानीय आवागमन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि उन्हें समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए परिवहन और आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई हो। प्रत्येक सदस्य को समाधान या मध्यस्थता के लिए प्रत्येक सुनवाई हेतु 20,000/- रुपए (केवल बीस हजार रुपए) का मानदेय भी देय होगा।

5.2 समिति, समाधानकर्ता या मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यों का भलीभाँति निर्वहन करने में सहयोग और सहायता प्राप्त करने हेतु जब भी आवश्यक हो, तृतीय पक्षकार/ विशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं ले सकती है।

5.3 सरकार, बिना कोई कारण बताए निबंधन और शर्तों को बदलने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।

6. समाधान अथवा मध्यस्थता कार्रवाही संबंधी निबंधन एवं शर्तें

6.1 भारत के अन्वेषण ब्लॉकों/क्षेत्रों से संबंधित विवाद अथवा मतभेद को समिति को भेजा जा सकता है, यदि संविदा करने वाले दोनों पक्षकार समाधान अथवा मध्यस्थता के लिए लिखित में सहमत होते है और आगे इसके बाद सहमत होते है कि मध्यस्थता कार्यवाही नहीं करेंगे।

6.2 संकल्प के लिए विवाद संबंधी अनुरोध प्राप्त होने पर, समिति समाधान/मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करेंगी। यह कार्यवाई निष्पक्ष, न्याय और सद्विवेक के सिद्धांतों पर आधारित होगी। कार्यविधि संबंधी पहलू के लिए, समिति सिद्धांतों और संकल्प का सहायता ले सकती है, जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग III में उल्लिखित है।

6.3 जब तक अन्यथा दोनों पक्षकार सहमत नहीं होते हैं, तब तक समाधान और मध्यस्थता कार्यवाही-संबंधी स्थल नई दिल्ली, भारत होगा।

6.4 पक्षकार अपना मामला मध्यस्थ या समाधानकर्ता के रूप में कार्य करने वाली समिति के सामने केवल अपने कर्मचारियों या कार्यकारी अधिकारियों के जरिए ही प्रस्तुत करेंगे। कार्यवाही के पक्षकार द्वारा जब तक दायर किए गए आवेदन पत्र पर समिति पाती है कि विधिक स्वरूप का कोई मुद्दा या किसी मुद्दे पर अत्यधिक जानकारी की जरूरत है-विवादग्रस्त है, जिस पर अधिवक्ता या परामर्शदाता द्वारा स्पष्टीकरण/व्याख्या दिए जाने की जरूरत है और यह राय देती है कि ऐसी सहायता या भागीदार के अभाव में पक्षकार के हितों को समाधान या मध्यस्थता में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक अधिवक्ता या परामर्शदाता समाधान कार्यवाहियों में भाग नहीं लेंगे।

6.5 पक्षकारों को विवाद के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए कोई सुझाव, प्रस्ताव या वैकल्पिक प्रस्ताव देने की छूट होगी।

6.6 पक्षकार समाधान या मध्यस्थता के लिए नोटिस देने की तारीख से समझौता करार के निष्पादन होने तक, यदि निष्पादन होता है, तो दावों और प्रतिदावों पर ब्याज का दावा नहीं करेंगे। यदि पक्षकार समझौता करने में असमर्थ रहते हैं, तो नोटिस देने की तारीख से कार्यवाहियों के पूरा होने की तारीख तक समिति के समक्ष लम्बित या समिति से अंतिम सिफारिशों के मिलने की तारीख या समझौता करार के निष्पादन की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, ब्याज का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

6.7 पक्षकारों को समाधान या मध्यस्थता कार्यवाहियों से संबंधित सभी मामलों को गोपनीय रखना है और किसी मध्यस्थता/न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। गोपनीयता उस मामले को छोड़कर, जहां कार्यान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ उसका प्रकटन आवश्यक हैं, समझौता करार पर भी लागू है।

6.8 समिति के समक्ष समाधान या मध्यस्थता पर की गई सभी लागत और खर्च जिसमें समिति के सदस्यों, तृतीय पक्षकार/विशेषज्ञ एजेंसी का शुल्क भी सम्मिलित है, पक्षकारों द्वारा समान रूप में वहन किया जाएगा। तथापि अधिवक्ता या परामर्शदाता रखने के लिए अनुरोध करने वाला पक्षकार ऐसे अधिवक्ता या परामर्शदाता द्वारा वसूल किए गए शुल्कों को वहन करेगा।

6.9 विवाचन या न्यायिक कार्यवाहियों के लम्बित होने से समिति के समक्ष समाधान या मध्यस्थता कार्यवाहियों की शुरुआत पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, भले ही समाधान या मध्यस्थता कार्यवाहियां उसी विषयवस्तु या मुद्दे पर हों जैसा कि विवाचन या न्यायिक कार्यवाहियों में हुआ है।

6.10 पक्षकार किसी विवाद के संबंध में, जो समिति के समक्ष लम्बित समाधान या मध्यस्थता कार्यवाहियों की विषयवस्तु है, किसी विवाचन या न्यायिक कार्यवाहियों को शुरू नहीं करेंगे या कोई उपाय नहीं करेंगे।

6.11 समिति को सचिवालीय सहायता हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2019

No. Expl-15022(13)/6/2017-ONGD-V.—Pursuant to Clause 6 of the Policy Reforms in Exploration and Licensing Policy notified vide Gazette Notification published on 6th March, 2019, the Government of India hereby constitutes the Committee of External Eminent Persons/Experts for dispute resolution (hereinafter referred as "the Committee"), comprising of the following members, namely:—

Sl. No.	Name
1	Sh. G. C. Chaturvedi, IAS (Retd.), Former Secretary, Petroleum and Natural Gas, Government of India
2	Sh. Bikash C. Bora, Former CMD, OIL and ONGC
3	Sh. Satish Pai, Managing Director, Hindalco Industries Limited

2. **Tenure of Members**

2.1. The tenure of the members of the Committee shall be three years from the date of this Notification. However, the Government reserves the right to dissociate any member from the Committee at any time without assigning any reason.

2.2. The members shall also be eligible for extension of tenure.

3. Impartiality of Members:

The members of the Committee shall at all times remain impartial to the parties during the course of the conciliation or mediation proceedings.

4. **Powers and Functions of Members**

The Committee shall exercise all powers and discharge all functions necessary for carrying out conciliation and mediation proceedings for resolution of the disputes between the parties as per the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and endeavor that the parties arrive at a Settlement Agreement within three (3) months from the date of the first meeting of the Committee. The members and the parties may for reasons to be recorded in writing extend the time for arriving at such Settlement Agreement by mutual agreement.

5. Terms and Conditions of the Committee

5.1. The members of the Committee acting as conciliator or mediatorwill be reimbursed expenses incurred on airfare and local commutation from their place of work to the place of meeting, as per entitlement, unless transport and

commutation facility is provided to them for attending the committee meetings. Each member will also be paid an honorarium of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty thousand only) per hearing of the conciliation or mediation proceedings.

5.2. The Committee acting as conciliator or mediator may take services of third party/expert agency to aid and assist it in discharge of its functions as and when required.

5.3. Government reserves the right to change the terms and conditions as and when required without assigning any reasons thereof.

6. Terms and Conditions of Conciliation or Mediation Proceedings

6.1. Any dispute or difference arising out of a contract relating to exploration blocks/ fields of India can be referred to the Committee, if both parties to the contract agree in writing for conciliation or mediation and further agree to not invoke arbitration proceedings thereafter.

6.2. Upon receipt of a request referring dispute for resolution, the Committee shall conduct theconciliation/ mediation proceedings. The proceedings shall be based on the principles of fairness, justice and good conscience. For procedural aspect, the Committee may take assistance of the principles and regulation as mentioned in Part III of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

6.3. Unless the parties agree otherwise, the venue of the conciliation or mediation proceedings shall be New Delhi, India.

6.4. The parties will represent their case before the Committee acting as conciliators or mediators only through their employees or executives. Advocates or Consultants shall not participate in the conciliation proceedings,unless the Committeeon application filed by a party to the proceedings finds that some issue of legal nature or an issue requiring highly specialized knowledge is in dispute requiring clarification/interpretation by an Advocate or Consultant and takes a view that in absence of such assistance or participation the party's interests shall not be adequately represented in the conciliation or mediation proceedings.

6.5. It shall be open to the parties to make any suggestions, proposal or alternative proposals for amicable settlement of dispute.

6.6. Parties shall not claim any interest on claims and counter-claims from date of notice for conciliation or mediation till execution of the Settlement Agreement, if so arrived at. In case, parties are unable to arrive at a settlement, no interest shall be claimed in any further proceedings for the period from the date of notice till date of completion of the proceedings pending before the Committee or date of the receipt of the final recommendations from the Committee or date of execution of the Settlement Agreement whichever is later.

6.7. The parties are to keep all matters relating to the conciliation or mediation proceedings confidential and cannot rely upon them as evidence in any arbitration/court proceeding. Confidentiality extends also to the Settlement Agreement, except where its disclosure is necessary for purposes of implementation and enforcement.

6.8. All costs and expenses incurred on the conciliation or mediation proceedings before the Committee including fees of the members of the Committee, third party/expert agency shall be borne equally by the parties. However, the party requesting for engagement of an Advocate or Consultant shall bear the fees charged by such Advocate or Consultant.

6.9. Pendency of arbitral or judicial proceedings shall not constitute any bar on commencement of conciliation or mediation proceedings before the Committee, even if the conciliation or mediation proceedings are on the same subject matter/issue as the arbitral or judicial proceedings.

6.10. The parties shall not initiate or take any step to initiate any arbitral or judicial proceedings in respect of a dispute, which is a subject matter of the conciliation or mediation proceedings pending before the Committee.

6.11. The secretarial assistance to the Committee shall be provided by the Directorate General of Hydrocarbons (DGH).

AMAR NATH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.18 22:26:33 +05'30'